न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला–सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः– 42/2024 प्रार्थना पत्र

जी.सी.एम.एस. नम्बर–2024/143

उनवान

1. श्रीमती शकुन्तला पत्नी देवीलाल नगारची, उम्र बालिग, निवासी डाल, तहसील सलूम्बर, जिला सलूम्बर (राज.)।

–प्रार्थीया

बनाम

1. श्री चम्पालाल पिता नाथुराम जी मेहता, उम्र बालिग, निवासी कपुरावतों का बाडा, तहसील सलूम्बर, जिला सलूम्बर (राज.)।
2. श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार महोदय जी सलुम्बर, तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)।

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–::निर्णय::–

तारीख निर्णय–26/11/2025

उपस्थितिः– श्री गोपाल चौबिसा अधिवक्ता –प्रार्थीया
श्री प्रकाश जोशी अधिवक्ता –विपक्षी संख्या 1
पेरोकार सरकार तहसीलदार सलूम्बर।

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर अंकित किया कि प्रार्थीया की कृषि भूमि मौजा डाल, तहसील सलूम्बर में स्थित होकर मौजा डाल के आराजी नम्बर 308 रकबा 0.26 हैक्टेयर स्थित है एवं प्रार्थीया की जमीन में आने जाने का रास्ता विपक्षी सं. 1 चम्पालाल पिता नाथुराम जी मेहता के स्वामित्व की भूमि जिसके वर्तमान आराजी नं. 5981/307 एवं 5980/307 है जो रोड पर स्थित है और इस आराजी से होकर प्रार्थीया इसके पिछे स्थित अपनी आराजी नं. 308 में आने–जाने व खेती हेतु साधन व पशु, बैल आदि लाने–लेजाने का रास्ते के रूप में उपयोग होता रहा है। विपक्षी सं. 1 चम्पालाल पिता नाथुराम मेहता के खातेदारी स्वामित्व की भूमि जिसके वर्तमान आराजी नम्बर 5980/307, 5981/307 होकर उक्त दोनों आराजीयात के पूर्व आराजी नम्बर 307 होकर उक्त आराजी नम्बर 307 प्रार्थिया के खातेदारी स्वामित्व की कृषि भूमि थी जिससे प्रार्थिया अपनी आराजी नम्बर 308 में आना–जाना, खेती हेतु साधन व पशु, बैल आदि लाने–लेजाने का रास्ते के रूप में उपयोग करती आ रही थी, तथा उक्त आराजी नम्बर 307 को विपक्षी सं. 1 चम्पालाल पिता नाथुराम मेहता ने

सहायक कलेक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

प्रार्थिया से क्रय की उस समय यह तय किया गया कि आराजी नम्बर 307 से होकर प्रार्थिया अपनी पिछे स्थित आराजी नम्बर 308 में आने–जाने व खेती हेतु साधन व पशु, बैल आदि लाने–लेजाने हेतु रास्ते के रूप में उपयोग करते आ रहे थे उसमें कोई रूकावट नहीं कर सकेगा उसका रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग प्रार्थिया करती रहेंगी।

विपक्षी सं. 1 ने प्रार्थिया की उक्त आराजी नम्बर 307 क्रय करने के पश्चात उक्त आराजी नम्बर 307 को आबादी संपरिवर्तन कराई जिसके नये आराजी नम्बर 5980 / 307 एवं 5981 / 307 पडे तथा विपक्षी सं. 1 ने उक्त आराजीयात पर आवासीय कॉलोनी काटी है तथा अब विपक्षी सं. 1 प्रार्थिया को सदियों से रास्ते के उपयोग उपभोग एवं रास्ते का सुखाधिकार से वंचित करना चाहते है। जो न्याय संगत नहीं है। विपक्षी संख्या 1 उक्त आराजियात से प्रार्थिया के आने–जाने के लिये रूकावट करने की तैयारी में है जिससे प्रार्थीया के सदियो से चले आ रहे रास्ते से सुखाधिकार से वंचित होना पडेगा एवं भारी समस्या उत्पन्न हो जायेगी। प्रार्थीया अपनी कृषि भूमि पर नहीं जा पायेंगे और अपनी फसल की रखवाली नहीं कर सकेंगे। बैल आदि नहीं ले जा सकेंगे। अतः श्रीमान से सादर निवेदन है प्रार्थिया के रास्ते के सुखाधिकार जारी रखने हेतु विपक्षी सं. 1 के विरूद्ध कार्यवाही फरमा उसे रास्ते में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने से रोकने की कृपा करे।

प्रार्थनापत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन सूचित किया गया। विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाश जोशी ने वकालतनामा पेश किया एवं उपस्थित रहे। विपक्षी संख्या 1 एक ने जवाब पेश कर अंकित किया कि प्रार्थिया क्लीन हैण्ड न्यायालय के समक्ष नहीं आई है वास्तविक सत्य तथ्यों को छुपाकर विपक्षी संख्या 1 (एक) को महज परेशान करने के इरादे से यह झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया है प्रार्थिया की शकुन्तला एवं सुगना दो नाम से कृषि भूमि मौजा डाल में दर्ज है प्रार्थिया एवं विपक्षी के विक्रेता श्रीमति सुनीता पिता प्रेमनारायण सेवक, श्री निलेश कुमार पिता विजय कुमार जैन के नाम मौजा डाल पटवार मण्डल डाल तहसील सलुम्बर की राजस्व जमाबंदी संवत 2069 से 2071 के खाता संख्या 355 में खातेदारी कृषि भूमि आ.नं. 306 रकबा 0.26 हैक्टेयर आ.नं. 307 रकबा 0.10 हैक्टेयर आ.नं. 308 रकबा 0.26 हैक्टेयर कृषि भूमि दर्ज थी जिसमे से आ. नं. 307 रकबा 0.10 हैक्टेयर विपक्षी चम्पालाल व विपक्षी के भाई गोपाल ने दिनांक 01 / 10 / 2015 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय किया है तथा आ.नं. 308 रकबा 0.26 हैक्टेयर कृषि भूमि को प्रार्थिया ने क्रय किया है तथा मौजा डाल पटवार मंडल डाल तहसील सलुम्बर की राजस्व जमाबन्दी संवत 2075–2078 के खाता संख्या नया 407 / 362 पुराना में आ.नं .308 रकबा 0.26 हैक्टेयर हिस्सा पूर्ण कृषि भूमि में प्रार्थिया शकुन्तला पत्नी देवीलाल के नाम दर्ज है एवं खाता संख्या नया 342 / 335 पुराना में आ.नं. 301 / 0.32, 302 / 0.21, 303 / 0.17,304 / 0.06 कुल रकबा 0.76 हैक्टेयर में 1 / 4 हिस्सा कृषि भूमि में प्रार्थिया का नाम सुगनाबाई पत्नी देवीलाल नंगारची दर्ज है प्रार्थिया की कुल 0.26 हैक्टेयर व 0.19 हैक्टेयर कुल 0.45 हैक्टेयर कृषि भूमि दर्ज है तथा मौजा डाल के खाता संख्या नया 346 / 340 पुराना में आ.नं. 249 / 0.21, 250 / 0.13, 251 / 0.14, 252 / 0.19, 253 / 0.08, 254 / 0.09, 255 / 0.16, 256 / 0.08, 257 / 0.04, 258 / 0.50 कुल 1.62 हैक्टेयर कृषि भूमि में 1 / 2 हिस्सा में 0.81 हे. कृषि

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

भूमि प्रार्थिया के पति देवीलाल पिता लाला ढोली (नंगारची) के नाम दर्ज है इस तरह प्रार्थिया शकुन्तला उर्फ सुगनाबाई एवं उसके पति देवीलाल दोनों के नाम 0.45 हैक्टेयर कृषि भूमि व 0.81 हैक्टेयर कृषि भूमि कुल 1.26 हैक्टेयर कृषि भूमि दर्ज है उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि एक चक होकर रोड से सटी हुई है जिसमे से प्रार्थिया के आने जाने व पशु व कृषि उपकरण लाने ले जाने के लिए के दो रास्ते मौजूद है जिसका प्रार्थिया आज तक बेरोकटोक उपयोग उपभोग करती आ रही है प्रार्थिया जबरन डरा धमकाकर विपक्षी संख्या 1 (एक) की आबादी भूमि में रास्ता निकलना चाहती है तथा प्रार्थिया की कृषि भूमि के पास विपक्षी संख्या 1 (एक) की कोई कृषि भूमि नहीं है इस कारण प्रार्थिया के आने जाने और पशुओं को लाने ले जाने का कोई रास्ता विपक्षी संख्या 1 (एक) की आबादी भूमि में होने का प्रश्न नही पैदा होता है मौजा डाल में विपक्षी संख्या 1 (एक) के स्वामित्व की आबादी आ.नं. 5981/307 रकबा 0.0855 हैक्टेयर किस्म आबादी व आ.नं. 5983/5502 रकबा 0.04 हैक्टेयर किस्म आबादी कुल क्षेत्रफल 0.1255 हैक्टेयर किस्म आबादी होकर विपक्षी संख्या 1 (एक) ने कार्यालय तहसीलदार सलुम्बर से दिनांक 19/02/2016 पट्टा क्रमांक– प.5 () राज/रूपा. /2015–16/238–42 से आवासीय रूपांतरण कराकर आवासीय प्लान बनाकर पूरी भूमि विक्रय कर दी है जिसका पट्टा साथ संलग्न है इस कारण प्रार्थिया की कृषि भूमि के पास विपक्षी संख्या 1 (एक) की कोई कृषि भूमि या आबादी भूमि स्थित नहीं है नहीं प्रार्थिया का कोई रास्ता है नही प्रार्थिया ने रास्ते का कोई रिकोर्ड पेश किया है नही रास्ते सम्बन्धी विपक्षी से कोई बात हुई थी विपक्षी ने आठ वर्ष पूर्व भूमि को आबादी कराकर विक्रय कर दिया जब तक प्रार्थिया द्वारा रास्ते का कोई उजर एतराज पेश नही किया है।

प्रार्थिया ने विपक्षी संख्या 1 (एक) की आबादी भूमि में जबरन रास्ता निकलने के लिए यह प्रार्थना पत्र प्रार्थिया द्वारा पेश किया है । प्रार्थिया शकुन्तला उर्फ सुगनाबाई एवं उसके पति देवीलाल दोनों के नाम 0.45 हैक्टेयर व 0.81 हैक्टेयर कुल 1.26 हे कृषि भूमि दर्ज है उक्त सम्पूर्ण भूमि एक चक होकर रोड से सटी हुई है जिसमे से प्रार्थिया के आने जाने व पशु व कृषि उपकरण लाने ले जाने के लिए के दो रास्ते मोजूद है जिसका प्रार्थिया आज तक बेरोकटोक उपयोग उपभोग करती आ रही है। प्रार्थिया का विपक्षी की आबादी भूमि में कोई रास्ता कभी नही था नहीं है नहीं राजस्व रिकार्ड में दर्ज है प्रार्थिया द्वारा विपक्षी संख्या 1 (एक) के विरुद्ध आबादी भूमि में रास्ते बाबत उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थिया द्वारा विपक्षी संख्या 1 (एक) के विरुद्ध आबादी भूमि में रास्ते बाबत उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जबकि धारा 251 आर. टी. एक्ट कृषि भूमि में रास्ते का प्रावधान करती है इस कारण आबादी भूमि के सम्बन्ध में वाद या प्रार्थना पत्र की सुनवाई का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को प्राप्त होने से प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र राजस्व न्यायालय के श्रवनाधिकार एवं क्षैत्राधिकार में चलने योग्य नही होने से प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र सव्य्य खारिज फरमाया जाने आदेश प्रदान करावे ।

पत्रावली मे उपभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थीया ने बहस मे अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीया कृषि भूमि आराजी नं. 308, रकबा 0.26 हेक्टेयर मौजा डाल,

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

तहसील सलूम्बर में स्थित है। उक्त भूमि तक पहुँचने के लिए वह वर्षों से विपक्षी की भूमि (पूर्व आराजी नं. 307, अब 5980/307 व 5981/307) से होकर रास्ते का उपयोग करती आ रही है। विपक्षी ने उक्त भूमि को खरीदकर आवासीय कॉलोनी में बदल लिया है और अब रास्ता बंद करने का प्रयास कर रहा है। अतः निवेदन है प्रार्थिया के रास्ते के सुखाधिकार जारी रखने हेतु विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध कार्यवाही फरमा उसे रास्ते में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने से रोकने की कृपा करे।

विपक्षी संख्या 1 ने बहस मे अपने जवाब मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि– प्रार्थीया की भूमि एक चक में है जो पहले से सड़क से सटी हुई है, उसके पास आने–जाने के दो रास्ते पहले से मौजूद हैं। विपक्षी की भूमि कृषि नहीं है बल्कि आबादी भूमि है जिसका आबादी का पट्टा विपक्षी ने पत्रावली मे पेश कर रखा है। धारा 251(क) केवल कृषि भूमि में रास्ते के निर्धारण से संबंधित है। विपक्षी के आराजीयात की भूमि आबादीशुदा भूमि है। अतः मामला राजस्व न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन की गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। विपक्षी की भूमि को 19.02.2016 को आवासीय उपयोग हेतु रूपांतरित कर पट्टा जारी किया गया है। अतः वर्तमान में उक्त भूमि आबादी भूमि है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) केवल तब लागू होती है जब रास्ते का विवाद कृषि भूमि से संबंधित हो। प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र मे यह अभिवचन किया है कि वर्तमान आराजी नम्बर 5980/307, 5981/307 उक्त दोनों आराजीयात के पूर्व आराजी नम्बर 307 होकर उक्त आराजी नम्बर 307 प्रार्थिया के खातेदारी स्वामित्व की कृषि भूमि थी जिससे प्रार्थिया अपनी आराजी नम्बर 308 में आना–जाना, खेती हेतु साधन व पशु, बैल आदि लाने–लेजाने का रास्ते के रूप में उपयोग करती आ रही थी। उक्त कथन के समर्थन मे प्रार्थीया द्वारा कोई ऐसा राजस्व रिकॉर्ड या नक्शा प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह सिद्ध हो कि उक्त रास्ता पूर्व से राजस्व अभिलेख में दर्ज था। विपक्षी की भूमि कृषि भूमि न होकर आबादी भूमि जाहिर आया है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का खारिज किया जाता है।

प्रार्थीया आवश्यक कार्यवाही हेतु उचित न्यायालय मे वाद पेश कर राहत प्राप्त करने हेतु स्वतन्त्र है।

प्रकरण फैसल शुमर होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय दिनांक 26/11/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश चन्द्र बामनिया RAS)
उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर
जिला–सलूम्बर

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर